

## लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./27/2010/790

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामान्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-2 (UNIQUE CODE- BF3431)	शा.उमावि. श्यामपुर जिला सीहोर (DISE CODE- 23330577704 )	भोपाल
2	श्री दिनेश पवार, सहायक ग्रेड-2 (UNIQUE CODE- BH1513)	शा.क.उमावि. बागली जिला देवास (DISE CODE- 23230466608)	कार्या. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इंदौर संभाग इंदौर (DISE CODE-232601ORS01)
3	श्रीमती साधना पाण्डेय, लेखापाल (UNIQUE CODE-AF7425)	शा. उमावि. क्र. 2 छतरपुर (DISE CODE- 23090577702)	भोपाल
4	श्री कमलेश गुप्ता, सहायक ग्रेड-3 (UNIQUE CODE- AV6994)	शा.उमावि. बालक मैहर, जिला सतना (DISE CODE- 23130277704 )	जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कटनी (DISE CODE- अप्राप्त)
5	श्रीमती अलका पाटणकर, सहायक ग्रेड-3 (UNIQUE CODE- AU1438)	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, रायसेन (DISE CODE- 2334050DS01)	भोपाल
6	श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव, भूत (UNIQUE CODE- BO2244)	शा.हाईस्कूल बाग पिपरिया तह. वाडी बरेली जिला रायसेन (DISE CODE- 23340101701 )	विदिश

2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य शासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 6-1/2010/एक/9, दिनांक 20.04.2010 (वर्ष 2010-11 की स्थानांतरण नीति) की कडिका 9.25 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले/स्थान में पद रिक्त होने के उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाएं। अतिशेष की स्थिति में स्थानांतरण निरस्त संबंधी प्रस्ताव संचालनालय को भेजें।

3/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये।

6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।

7/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।


8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./27/2010/ 79।  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

1. विशेष सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल।
4. संबंधित जिला, कलेक्टर, म.प्र.।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग म.प्र.।
6. संयुक्त संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिला म.प्र.।
8. प्राचार्य, जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कटनी।
9. संबंधित प्राचार्य, म.प्र.।
10. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय)।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
11. संबंधित कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

## लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश

टीलम नगर, भोपाल 462003  
दूरभाष 91-0755-2533650 फेक्स 2533651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.4/सी/अ.जि.स्थानां./28/2010/792

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्र.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्री वंशव प्रसाद उग्रैती, सहायक ग्रेड-2 (UNIQUE CODE - अप्राप्त)	शा.क.उ.मा.वि. विजयपुर, जिला श्योपुर (DISE CODE - अप्राप्त)	मुरैना
2	श्री गविंद प्रसाद राकेश, लेखागल (UNIQUE CODE- AN6276)	शा.हाईस्कूल बिचुआ, जिला कटनी (DISE CODE- 23380266602)	जबलपुर
3	श्री अनुराग चौकसे, सहायक ग्रेड-3 (UNIQUE CODE-AU1440)	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रायसेन (DISE CODE- 233405ODS01)	जिला एवं शिक्षा शिक्षण संस्थान भोपाल (DISE CODE- 233203IDS01)

2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 6-1/2010/एक/9, दिनांक 20.04.2010 (वर्ष 2010-11 की स्थानांतरण नीति) की कडिका 9.25 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले/स्थान में पद रिक्त होने के उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाए। अतिशेष की स्थिति में स्थानांतरण निरस्त संबंधी परताव संचालनालय को भेजे।

3/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।



5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये।

6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वासन व शासकीय सेटक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई भी विवेचना अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।



7/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए । पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए । कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा । कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।

  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश 

पृष्ठां.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./28/2010/793  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

1. विशेष सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित ।
2. विशेष सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल ।
4. संबंधित जिला, कलेक्टर, म.प्र. ।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग म.प्र. ।
6. संयुक्त संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिला म.प्र. ।
8. प्राचार्य, जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान भोपाल ।
9. संबंधित प्राचार्य, म.प्र. ।
10. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय) ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
11. संबंधित कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश 